

# RPSC EO/RO Exam 2025

शहरी क्षेत्रों की योजनाएं

नवीनतम  
अपडेटेड

PM आवास योजना (शहरी)

सम्पूर्ण जानकारी

10 महत्वपूर्ण प्रश्न



Part-8

EO/RO स्पेशल

राजस्थान वार्षिकांक

600+ प्रश्न ◆ जनवरी से दिसम्बर 2024 ◆

राजस्थान करंट अफेयर्स प्रश्न व्याख्या सहित

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम  
600 प्रश्न व्याख्या सहित

E-book



विशेष आकर्षण:-

- राजस्थान सरकार की योजनाएँ/ नीतियां व आयोग
- राजस्थान बजट 2025-26 व आर्थिक समीक्षा 2024-25
- राजस्थान में कौन क्या है? व मंत्रीमंडल Updated

EO/RO शहरी क्षेत्रों की योजनाएं ₹99

## प्रधानमंत्री आवास योजना: सबके लिए आवास (शहरी)

योजना की शुरुआत -25 जून, 2015

नोट- दिशा निर्देशिका के अनुसार 17 जून 2015 से मिशन के सभी घटक प्रारम्भ कर दिए गए।

योजना का प्रकार **पारिवारिक एवं व्यक्तिगत। -**

नोडल विभाग -आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार  
मंत्री माननीय मनोहरलाल खट्टर

### उद्देश्य

- आजादी के 75वें वर्ष तक अर्थात 31 मार्च, 2022 (समय-सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2024) तक झुग्गीवासियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) / निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करने लिए प्रत्येक मौसम के अनुकूल पक्का मकान सुनिश्चित करना।
- पात्र शहरी परिवारों की 1.12 करोड़ आवास की मांग को पूरा करना।

ध्येय वाक्य '**सभी के लिए आवास**'

## लाभार्थी-

- ▶ लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।
- ▶ लाभार्थी परिवार के पास या तो उनके नाम से अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- ▶ वयस्क कमाने वाला सदस्य (वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना) को अलग परिवार माना जा सकता है।
- ▶ 21 वर्ग मीटर से कम बिल्ड अप एरिया रखने वाला परिवार भी पात्र होगा। (05 जनवरी 2019 से)
- ▶ योजना प्रारंभ के समय ईडब्ल्यूएस व एलआईजी वर्गों के लिए थी परंतु 01 जनवरी 2017 से इसे एमआईजी-1 व एमआईजी-2 तक विस्तारित की गई।
- ▶ ईडब्ल्यूएस वर्ग चारों घटकों के लिए पात्र होंगे जबकि एलआईजी और एमआईजी केवल क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के लिए पात्र होंगे।

## केन्द्रीय नोडल एजेंसी (CNA)

मिशन के ऋण आधारित सब्सिडी घटक (CLSS) के कार्यान्वयन के उद्देश्य हेतु मंत्रालय द्वारा निर्धारित नोडल एजेंसी।

वर्तमान में तीन केन्द्रीय नोडल एजेंसी है-

SBI - State Bank of India, NBH - National Bank of Housing, HUDCO - Housing and Urban Development Corporation

## योजना के घटक-

यह योजना इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर),  
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस),  
लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) और भागीदारी में किफायती  
आवास (एएचपी) चार घटकों पर आधारित है।



## वित्त पोषण

★ सामान्य / मैदानी राज्य 60:40

★ उत्तरी पूर्वी एवं हिमालयी राज्य 90: 10

सभी वर्गों के लिए, ब्याज सब्सिडी 20 वर्ष तक की अवधि वाले होम लोन के लिए मान्य है.

प्रशासन, कार्यान्वयन और निगरानी ढांचा:

तीन स्तरीय ढांचा -

1. सचिव, MoHUA की अध्यक्षता में केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (CSMC)
2. राज्यों या केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (SLSMC)
3. चुनिंदा शहरों में महापौर अथवा नगरीय निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति।

## वर्तमान स्थिति

आवासन एवं शहरी मामलात मंत्रालय के अनुसार 30 दिसम्बर 2024 तक की प्रगति निम्नानुसार है-

आवासों की भौतिक प्रगति-

- मांग-1.12 करोड़
- स्वीकृत:- 1.18 करोड़
- निर्माणाधीन एवं पूर्ण:- 1.13 करोड़
- पूर्ण:- 90 लाख

## वित्तीय प्रगति-

कुल निवेश - 8.07 लाख करोड़

केन्द्रीय सहायता (प्रस्तावित) 2.00 लाख करोड़

केन्द्रीय सहायता (रीलीज्ड)-1.67 लाख करोड़

भारत में सर्वाधिक शहरी आवास आंध्रप्रदेश (21,37,028) एवं उत्तरप्रदेश (17,76,823) को स्वीकृत किए गए हैं।

राजस्थान को 3,19,877 शहरी आवास आवंटित किए जा चुके हैं।

## राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में योजना

- ▶ बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (EWS) के लाभार्थियों को राहत दिये जाने के उद्देश्य से 25 हजार रूपये प्रति लाभार्थी अतिरिक्त अनुदान दिये जाने की घोषणा की गयी।

## अर्थिक समीक्षा 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार:-

राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कुल आवासों की संख्या-

- अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनशिप (AHP) घटक के तहत 33,580 आवास
- लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण (BLC) घटक के तहत 1,23,420 आवास

उक्त दोनों घटकों (AHP) व (BLC) के तहत कुल 1.57 लाख

- आवास क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) घटक के तहत 1,48,362 आवास

उक्त तीनों घटकों (AHP), (BLC) व (CLSS) के तहत कुल 3,05,362 आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं।

नोट- स्वीकृत आवासों में 76,122 आवास निर्माणधीन हैं तथा 1,68,793 पूर्ण हो चुके हैं।

## अर्थिक समीक्षा 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार:-

- आवास योजना का उद्देश्य बेघरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक) तथा निम्न आय वर्ग (वार्षिक आय 3 से 6 लाख रुपये के बीच) के व्यक्तियों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है।

राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कुल आवासों की संख्या  
2,88,550 आवास

1 अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनशिप (AHP) घटक के तहत  
27,396 आवास

2 लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण (BLC) घटक के  
तहत 1,12,792 आवास

3 क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) घटक के तहत 1,48,362  
आवास

उक्त तीनों घटकों (AHP), (BLC) व (CLSS) के तहत कुल  
2,88,550 आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं। जिनमें से 1,96,700  
आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। जबकि 73,603 आवास  
निर्माणाधीन हैं।

★ मिशन की अवधि दिसम्बर 2024 को समाप्त होनी थी जिसे  
बढ़ाकर दिसम्बर 2025 तक कर दिया गया है।

राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (RUDSICO) राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए नोडल एजेंसी है। यह राजस्थान सरकार का उपक्रम

## प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0

09 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 को मंजूरी दी गई।

कालावधि 2028-29 तक

मिशन अवधि - PMAY (U) 2.0 का क्रियान्वयन दिनांक 01 सितम्बर 2024 से 05 वर्ष के लिए किया जाएगा।

लक्ष्य-

- इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 1 करोड़ घर बनाना है।
- इसमें 10 लाख करोड़ रू. का निवेश और 2.30 लाख करोड़ की सरकारी सब्सिडी (सहायता) शामिल है।

**पात्रता मापदंड** (एक लाभार्थी परिवार में पति/पत्नी, अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियां शामिल होगी।)

- ★ शहरी क्षेत्रों में रहने वाले EWS/LIG/MIG श्रेणियों से संबंधित परिवारों के पास भारत के किसी भी हिस्से में उसके या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का आवास नहीं होना चाहिए।
- ★ लाभार्थी PMAY (U) 2.0 योजना के घटको में से केवल किसी एक घटक के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।
- ★ वैसे लाभार्थी जिन्हें शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 20 वर्षों में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन की किसी भी आवास योजना के तहत आवास आवंटित किया गया है, इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
- ★ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 3 लाख रूपये तक वार्षिक आय
- ★ निम्न आय वर्ग (LIG):-3 लाख से 6 लाख रूपये तक वार्षिक आय
- ★ मध्यम आय वर्ग (MIG) 6 लाख से 9 लाख तक वार्षिक आय

**PMAY-U (प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी) 2.0 के तहत शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास की आवश्यकता को निम्नलिखित चार घटकों के माध्यम से पूरा किया जायेगा-**

- (1) लाभार्थी आधारित निर्माण / Beneficiary Led Construction (BLC)
- (2) भागीदारी में किफायती आवास / Affordable Housing in Partnership (AHP)
- (3) किफायती किराया आवास / Affordable Rental Housing (ARH)
- (4) ब्याज सब्सिडी योजना / Interest subsidy scheme (ISS)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	PMAY - (U) 2.0 घटक		
		BLC एवं AHP	ARH	ISS
1	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और विधायिका वाले केन्द्र शासित प्रदेश (जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली)	केन्द्र सरकार-2.25 लाख रुपये प्रति आवास; राज्य सरकार न्यूनतम - 0.25 लाख रुपये प्रति आवास	प्रोद्योगिकी नवाचार अनुदान- भारत सरकार द्वारा 3000 रुपये प्रति वर्गमीटर प्रति आवास तथा राज्य का हिस्सा 2000 रुपये प्रति वर्गमीटर प्रति आवास।	गृह ऋण सब्सिडी केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रति आवास 1.80 लाख रुपये तक होम लोन सब्सिडी (वास्तविक रिलीज तक)
2	बिना विधायिका वाले केन्द्र शासित प्रदेश	केन्द्र सरकार - 2.50 लाख रुपये प्रति आवास		
3	शेष राज्य	केन्द्र सरकार - 1.50 लाख रुपये प्रति आवास; राज्य सरकार - न्यूनतम 1.00 लाख रुपये प्रति आवास		

## वित्त पोषण तंत्र:-

- बिना विधायिका वाले केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए शेयरिंग पैटर्न 100 (केन्द्र) 0 (केन्द्रशासित प्रदेश) होगा।
- विधायिका वाले केन्द्रशासित प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी, राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड) के लिए शेयरिंग पैटर्न 90 (केन्द्र) 10 (राज्य) होगा।
- अन्य राज्यों के लिए शेयरिंग पैटर्न 60 (केन्द्र): 40 (राज्य) होगा।

ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)- केन्द्र क्षेत्रक योजना है। (100 प्रतिशत केन्द्र द्वारा वित्त पोषण) जब कि अन्य घटक केन्द्र प्रायोजित योजना है। (जैसे केन्द्र व राज्य का वित्त पोषण 60 40)

## बजट घोषणा

बजट 2024-25 में PM आवास योजना (शहरी) को 30,171 करोड़ रू आवंटित किए गए हैं। जो 2023-24 के बजटीय आवंटन (22,103 करोड़ रूपये) से 36% अधिक है।

## महत्वपूर्ण प्रश्न

01. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का आरंभ कब हुआ?

(a) 15 जून, 2015

(b) 25 जून, 2015

(c) 15 जून, 2016

(d) 25 जून, 2016

02. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

(a) इसका क्रियान्वयन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

(b) इसका लक्ष्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है।

(c) यह मांग-संचालित दृष्टिकोण को अपनाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं-

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) सभी कथन सही हैं।

03. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आवासों की आवश्यकता का आंकलन किसके द्वारा किया गया है?

- (a) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा
- (b) केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा
- (c) राज्य सरकारों द्वारा
- (d) सहकारिता विभाग द्वारा

04. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

- (a) इसमें देश के सभी नगरीय क्षेत्र शामिल हैं।
- (b) केवल महिला सदस्य के नाम पर घरों का स्वामित्व प्रदान किया जाएगा।
- (c) आवास आवंटन में समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं-

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3 (d) सभी कथन सही हैं।

05. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को कितने घटकों में विभाजित किया गया है?

(a) 3

(b) 4

(c) 6

(d) 8

06. PMAY-U के स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास घटक (ISSR) में कितना सरकारी अनुदान दिया जाता है?

(a) रु.1 लाख प्रति आवास

(b) रु.1.41 लाख प्रति आवास

(c) रु.1.5 लाख प्रति आवास

(d) रु.1.61 लाख प्रति आवास

07. PMAY-U के अंतर्गत EWS श्रेणी की वार्षिक पारिवारिक आय कितनी निर्धारित की गई है?

- (a) रु. 3 लाख
- (b) रु. 5 लाख
- (c) रु. 8 लाख
- (d) रु. 12 लाख

08. PMAY-U के ऋण आधारित ब्याज OMPE सब्सिडी योजना घटक (CLSS) में कितनी ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी?

- (a) 3% से 6.5% तक एवं रु. 2.67 लाख तक
- (b) 3% से 6% तक एवं रु. 2.67 लाख तक
- (c) 3% से 6.5% तक एवं रु. 2.57 लाख तक
- (d) 3% से 6% तक एवं रु. 2.57 लाख तक

09. PMAY-U में केन्द्रीय नोडल एजेंसी है-

- (a) बंधन बैंक
- (b) राष्ट्रीय आवास बैंक
- (c) पंजाब नेशनल बैंक
- (d) उपर्युक्त सभी

10. PMAY-U के अंतर्गत अधिकतम ऋण अवधि कितनी हो सकती है?

- (a) 12 वर्ष
- (b) 15 वर्ष
- (c) 20 वर्ष
- (d) 25 वर्ष